FORM NO –III

फर्द–अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
नागौर ऑटोमोबाईल्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय अजमेर–रोड़ दिल्ली दरवाजे के बाहर नागौर।		ए.डी.एफ.सी. बैंक लि. जरिये अधिकृत अधिकारी

किस्म मुकदमा –केवियट प्रार्थना पत्र संख्या– 48 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19.11.2018	वकील प्रार्थी श्री ओमप्रकाश सैन ने धारा 148ए, सिविल प्रकिया संहिता के तहत एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0 द्वारा दिनांक 21.06.2018 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) व दिनांक 25.09.2018 को कब्जा लेने बाबत नोटिस जो प्रार्थी (केवियटकर्ता) को भिजवाया है, जिसमें एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. जरिये अधिकृत अधिकारी के वाद/अपील/इजराय आदि प्रस्तुत करने पर प्रार्थी (केवियटकर्ता) को सुने बिना कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली बहस एडमिशन हेतु दिनांक 27.11.2018 को पेश हो। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर	
27-11-18	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0 द्वारा दिनांक 21.06.2018 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) व दिनांक 25.09.2018 को कब्जा लेने बाबत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) नोटिस जो प्रार्थी को भिजवाया है। उक्त नोटिस के संबंध में जिसमें एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. जरिये अधिकृत अधिकारी के वाद/अपील/इजराय आदि प्रस्तुत की जा सकती है, जो पेश होने पर प्रार्थी (केवियटकर्ता) को सुनकर ही आगे कार्यवाही किये जाने का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी ने प्रार्थी का केवियट प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। सामान्यतः बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को दिये गये ऋण की वसूली के संबंध में ऋणी/गारन्टर आदि द्वारा बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद हेतु वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी/गारन्टर आदि के विरूद्ध उक्त अधिनियम 2002 के की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों में अप्रार्थीगण ऋणी/गारन्टर आदि को भी सुने जाने का प्रावधान हो, इस बाबत वकील प्रार्थी द्वारा कोई नियम/परिपत्र/साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या–7312/2014 मैसर्स वरूण इण्डस्ट्रीज लि. बनाम यू.को. बैंक वगैरह में पारित निर्णय 04.05.2016 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उक्त अधिनियम 2002 के तहत प्रस्तुत होने वाले मामलों में अप्रार्थीगण को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह केवियट प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से सुनवाई हेतु ग्रहण की स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। (कुमार पाल गौतम) जिला मजिस्ट्रेट,नागौर	